



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **AUGUST 1, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. पश्चिमी एशियाई संघर्ष के बीच भारत ने सितंबर तक एलएनजी (LNG) आपूर्ति सुरक्षित की.....	2
2. बढ़ती सरकारी खर्च के बीच भारत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य के 18.2% पर पहुँचा.....	4
3. ब्लूमबर्ग ने प्रमुख सूचकांक में भारत के बॉड को शामिल करने की प्रक्रिया टाली	5
4. राजस्थान उच्च न्यायालय ने उदयपुर की पहाड़ियों में अनियंत्रित निर्माण पर लगाई फटकार	6
5. उत्तरी राज्यों में शैक्षिक संकट: परीक्षा लीक से लेकर संरचनात्मक सुधार तक	7
6. कैबिनेट ने PM-KISAN योजना के लिए पांच साल के विस्तार को दी मंजूरी	9
7. लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया.....	10
8. भोपाल गैस त्रासदी स्थल के पास गंभीर सीवेज संदूषण का पता चला	11
9. भारत की प्रवेश संस्कृति और शिक्षा सुधार की नए सिरे से कल्पना	12
10. विज्ञान और संवाद के साथ पश्चिमी घाट संरक्षण.....	13
11. कैबिनेट ने तैरते सौर संयंत्रों के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी	15
12. सुप्रीम कोर्ट ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर नोटिस जारी किया	16



1. पश्चिमी एशियाई संघर्ष के बीच भारत ने सितंबर तक एलएनजी (LNG) आपूर्ति सुरक्षित की

मुख्य बातें और सारांश

- भारत ने अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और अंगोला की तरफ आयात को विविधतापूर्ण (डाइवर्सिफ़ाई) बनाकर सितंबर तक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आपूर्ति सुरक्षित कर ली है।

- कतर के रास लाफन इंडस्ट्रियल सिटी पर ईरानी हमलों के बाद आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिसके कारण कतरएनर्जी (QatarEnergy) को 'फोर्स माजेरे' (Force Majeure/अपरिहार्य बाधा) की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे उसका उत्पादन केंद्र बंद हो गया जो पहले भारत की लगभग 50% एलएनजी आवश्यकताओं को पूरा करता था।
- अप्रैल-मई के दौरान अमेरिका नाइजीरिया, ओमान और अंगोला से मिलने वाले प्रमुख इनपुट के साथ-साथ आयात में तीन गुना वृद्धि के साथ भारत का शीर्ष एलएनजी आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है।
- हालांकि अल्पकालिक घरेलू राशनिंग को टाल दिया गया है और औद्योगिक प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है, फिर भी दीर्घकालिक कतर के अनुबंधों को अल्पकालिक हाजिर बाजार (स्पॉट मार्केट) कार्गो से बदलने से भारत के राजकोषीय आयात का बोझ काफी बढ़ गया है।
- युद्ध से पहले के स्तर की तुलना में बेंचमार्क हाजिर कीमतों में लगभग 60% की वृद्धि हुई है, जिससे उर्वरक, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए मध्यम अवधि की संरचनात्मक वित्तीय चुनौतियां पैदा हो गई हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

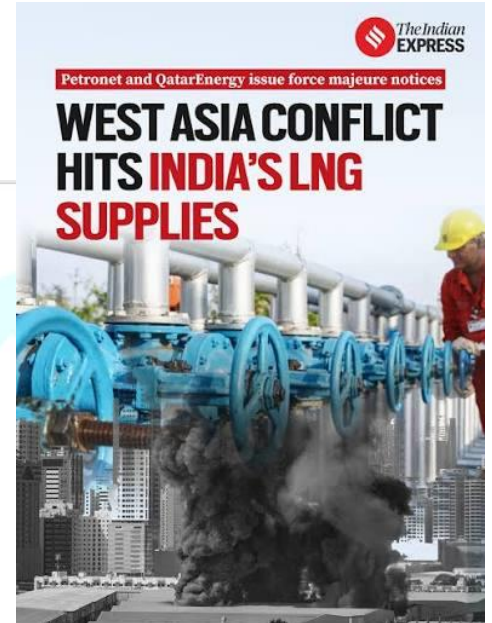
- **तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG):** प्राकृतिक गैस जिसे बिना दबाव के भंडारण या परिवहन में आसानी और सुरक्षा के लिए तरल रूप में ठंडा किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन, उर्वरक उत्पादन और औद्योगिक विनिर्माण में किया जाता है।
- **फोर्स माजेरे (Force Majeure):** अनुबंधों में एक आम खंड जो युद्ध या हड़ताल जैसी कोई असाधारण घटना या परिस्थिति होने पर दोनों पक्षों को दायित्व या जिम्मेदारी से मुक्त करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG):** भारत में प्राकृतिक गैस के हाइड्रोकार्बन अन्वेषण, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण को विनियमित करते हुए, व्यवसाय आवंटन के संवैधानिक नियमों के तहत संचालित होता है।
- **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:** केंद्र सरकार को भू-राजनीतिक संकटों के दौरान स्थिर आपूर्ति बनाए रखने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस सहित आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष कतर के निर्यात टर्मिनलों के बंद होने के बाद भारत की सक्रिय राजनयिक और वाणिज्यिक विविधता ने इसकी तत्काल घरेलू अर्थव्यवस्था को विनाशकारी ऊर्जा की कमी से सफलतापूर्वक बचा लिया है। हालांकि, स्थिर दीर्घकालिक द्विपक्षीय समझौतों से महंगे हाजिर बाजार (स्पॉट-मार्केट) खरीद की ओर इस संरचनात्मक बदलाव को नेविगेट करने के लिए बढ़ते राजकोषीय घाटे को प्रबंधित करने और घरेलू उर्वरक एवं विनिर्माण सब्सिडी की रक्षा के लिए रणनीतिक लचीलेपन की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता



- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II:** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते; विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III:** बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि; भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों जुटाने, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

2. बढ़ती सरकारी खर्च के बीच भारत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य के 18.2% पर पहुँचा

मुख्य बातें और सारांश

- जून के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के बजट अनुमान का 18.2% यानी ₹3.08 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 17.9% से मामूली रूप से अधिक है।
- बुनियादी ढांचे और रक्षा में 23.7% की मजबूत पूंजीगत व्यय वृद्धि के दम पर ₹3.4 लाख करोड़ तक पहुँचने के कारण, पहली तिमाही के दौरान कुल सरकारी खर्च ₹13.57 लाख करोड़ रहा, जो वार्षिक बजट अनुमान का 25.4% है।
- कुल प्राप्तियां ₹10.49 लाख करोड़ रहीं, जिसमें ₹6.37 लाख करोड़ शुद्ध कर राजस्व और भारतीय रिजर्व बैंक के ₹2.87 लाख करोड़ के रिकॉर्ड लाभांश भुगतान द्वारा समर्थित ₹3.78 लाख करोड़ का गैर-कर राजस्व शामिल है।
- क्षेत्रीय कर संग्रह में असमान रुझान देखे गए, जहां प्रत्यक्ष कर और कॉर्पोरेट आय कर का प्रदर्शन शानदार रहा जबकि अप्रत्यक्ष कर और जीएसटी संग्रह में संकुचन देखा गया।
- अर्थशास्त्री मौजूदा राजकोषीय प्रक्षेपवक्र को आरामदायक और प्रबंधनीय मानते हैं, और उनका अनुमान है कि अनुमानित कर प्रवाह और रेलवे एवं रक्षा में मजबूत बुनियादी ढांचे का खर्च पूरे वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पटरी पर रखेगा।

Deficit watch

The deficit nearly doubled from 9.6% in May, driven by higher government spending at the June quarter end. Details of the Centre's fiscal deficit in Q1FY27 as of:

Month	Fiscal deficit (₹ trillion)	As % of Budget estimates
Apr-end	3.6	21.4
May-end	1.6	9.6
Jun-end	3.1	18.2

Source: Controller General of Accounts

mint

MANU CHOUDHARY/MINT

आवश्यक परिभाषाएं

- **राजकोषीय घाटा:** एक वित्तीय वर्ष के दौरान उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल सरकारी खर्च का आधिक्य, जो सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है।
- **पूंजीगत व्यय (कैपेक्स):** दीर्घकालिक भौतिक संपत्तियों, बुनियादी ढांचे, मशीनरी के निर्माण या भविष्य के आर्थिक रिटर्न उत्पन्न करने वाले सार्वजनिक उपयोगिताओं को अपग्रेड करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 112:** केंद्र सरकार को संसद के समक्ष अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण देने वाला वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का आदेश देता है।

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** वित्तीय अनुशासन के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे को समाप्त करना और राजकोषीय घाटे को टिकाऊ स्थूल-आर्थिक सीमाओं तक नीचे लाना है।

निष्कर्ष पहली तिमाही में भारत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य के 18.2% तक बढ़ना बुनियादी ढांचे और रक्षा जैसे मुख्य क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय को पहले से आगे बढ़ाने के एक जानबूझकर लिए गए नीतिगत विकल्प को दर्शाता है। ऐतिहासिक आरबीआई लाभांश और मजबूत प्रत्यक्ष कर संग्रह के समर्थन से, सरकार सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देते हुए अपने राजकोषीय समेकन मार्ग को संतुलित करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों जुटाने, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; सरकारी बजट।

3. ब्लूमबर्ग ने प्रमुख सूचकांक में भारत के बाँड को शामिल करने की प्रक्रिया टाली

मुख्य बातें और सारांश

- ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज लिमिटेड (BISL) ने अपने प्रमुख ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में भारतीय सरकारी बाँड को जोड़ने के अपने निर्णय को दूसरी बार टाल दिया है।
- वैश्विक निवेशकों ने भारत के प्रगतिशील बाजार पहुंच सुधारों को स्वीकार किया है, लेकिन वे चाहते हैं कि इन बदलावों को शामिल करने से पहले दिन-प्रतिदिन के व्यापारिक तौर-तरीकों में अधिक मजबूती से शामिल किया जाए।
- उद्धृत किए गए प्रमुख परिचालन सुधारों में विस्तारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, व्यापक विदेशी निवेशक पहुंच और पात्र विदेशी निवेशकों के लिए विदहोलिंग और पूंजीगत लाभ करों को हटाना शामिल है।
- निवेशक सुचारू परिचालन वर्कफ़्लो, तेज़ खाता खोलने और इस बात के अधिक प्रमाण की मांग करना जारी रखते हैं कि नियामक परिवर्तन लगातार दिन-प्रतिदिन की तरलता और निपटान दक्षता में परिवर्तित होते हैं।
- डीलरों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में सफल समावेश से भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (गिल्ड्स) में \$20 बिलियन से \$25 बिलियन के बीच भारी विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह आ सकता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **ग्लोबल बाँड इंडेक्स:** दुनिया भर के जारीकर्ताओं के स्थानीय-मुद्रा या विदेशी-मुद्रा बांड के प्रदर्शन को ट्रैक करने वाला एक मानकीकृत बेंचमार्क, जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो आवंटन के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है।
- **सॉवरेन डेट (संप्रभु ऋण):** सार्वजनिक खर्चों को वित्तपोषित करने और राजकोषीय घाटे को प्रबंधित करने के लिए विदेशी या घरेलू मुद्रा में राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया ऋण।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और उनके प्रबंधन को संभालता और विनियमित करता है, जिससे पारदर्शी सार्वजनिक ऋण प्रबंधन सुनिश्चित होता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** भारत में विदेशी निवेश, सीमा पार पूंजी प्रवाह और बाहरी व्यापार को नियंत्रित करता है, जो घरेलू ऋण बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए परिचालन सीमाओं तय करता है।



निष्कर्ष ब्लूमबर्ग द्वारा स्थगन वैश्विक संस्थागत निवेशकों के सतर्क दृष्टिकोण को उजागर करता है जो वैधानिक नीतिगत घोषणाओं की तुलना में सहज परिचालन निष्पादन और परिचालन की तैयारी को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि भारत ने दूरदर्शी कर और संरचनात्मक सुधार पेश किए हैं, लेकिन अंततः बेंचमार्क में शामिल होने के लिए घर्षण रहित पोस्ट-ट्रेड फ्रेमवर्क और तरलता की गहराई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों जुटाने, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; वित्तीय बाजार और पूंजी प्रवाह।

4. राजस्थान उच्च न्यायालय ने उदयपुर की पहाड़ियों में अनियंत्रित निर्माण पर लगाई फटकार

मुख्य बातें और सारांश

- राजस्थान उच्च न्यायालय ने उदयपुर के आसपास अरावली पहाड़ियों में अनियंत्रित व्यावसायिक निर्माण और होटल विकास को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और चेतावनी दी है कि पहाड़ियों को विलुप्त होने की कगार पर धकेला जा रहा है।
- पीठ ने आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य की 2018 की हिल पॉलिसी (पहाड़ी नीति) सार्वजनिक कल्याणकारी संस्थानों के बजाय कुछ निजी एजेंसियों द्वारा तैयार की गई प्रतीत होती है।
- पहाड़ों को बेरहमी से काटे जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, अदालत ने 2018 और 2024 दोनों हिल पॉलिसियों के पीछे के लेखकों के साथ-साथ निर्माण की अनुमति देने वाले अधिकारियों के नाम मांगे हैं।
- ये न्यायिक निर्देश बसंत होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व स्वीकृतियों के आधार पर नई हिल पॉलिसी 2024 के कड़े प्रावधानों से छूट की मांग करते हुए दायर याचिका के दौरान आए।

- पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों का प्रकाश है कि अनियंत्रित शहरी फैलाव और अरावली श्रृंखलाओं की संरचनात्मक कटाई क्षेत्रीय पारिस्थितिकी को नीचा दिखाती है, प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों से समझौता करती है और सूक्ष्म जलवायु की कमजोरियों को बढ़ाती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- हिल एरिया डेवलपमेंट पॉलिसी:** पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और संरचनात्मक निर्माण को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया गया एक विशेष प्रशासनिक ढांचा।
- पारिस्थितिक गिरावट:** हवा, पानी और मिट्टी जैसे संसाधनों की कमी, पारिस्थितिक तंत्र के विनाश और वन्यजीवों के विलुप्त होने के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण का हास।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- संविधान का अनुच्छेद 48ए:** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है।
- संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन के अधिकार के एक आंतरिक घटक के रूप में एक स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार को शामिल करता है।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:** केंद्रीय सरकार को पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में कार्रवाई का समन्वय करने, पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करने तथा खतरनाक औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष राजस्थान उच्च न्यायालय का कड़ा हस्तक्षेप अरावली श्रृंखला जैसे नाजुक परिदृश्यों में अनियंत्रित व्यावसायिक पर्यटन और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच खतरनाक घर्षण को रेखांकित करता है। भूवैज्ञानिक संरचनाओं की रक्षा के लिए सख्त न्यायिक oversight (निगरानी), निहित निजी हितों से मुक्त पारदर्शी नीति निर्माण, और पर्यावरण न्यायशास्त्र के अडिग प्रवर्तन की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II:** कार्यकारी और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; संविधिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।

5. उत्तरी राज्यों में शैक्षिक संकट: परीक्षा लीक से लेकर संरचनात्मक सुधार तक

मुख्य बातें और सारांश

- पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बार-बार होने वाले परीक्षा लीक, विरोध प्रदर्शन और संस्थागत चुनौतियों ने राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा के केंद्र में संरचनात्मक सार्वजनिक शिक्षा सुधारों को ला दिया है।

- हालांकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य स्कूली बुनियादी ढांचे, साक्षरता और रैंकिंग सूचकांकों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रगति का दावा करते हैं, फिर भी युवाओं का बड़े पैमाने पर पलायन और रोजगार की कमी जैसी व्यवस्थित समस्याएं बनी हुई हैं।
- हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक साक्षरता उच्च और लगभग सार्वभौमिक नामांकन है, जबकि पंजाब ने स्कूली पाठ्यचर्या में एआई (AI) शिक्षा को एकीकृत किया है और सरकारी स्कूलों के मानकों को ऊंचा उठाया है।
- पेपर लीक की गंभीर चुनौतियों ने हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी क्षेत्रों जैसे राज्यों को कठोर जेल की सजा और भारी वित्तीय दंड वाले कड़े एंटी-पेपर लीक कानून बनाने के लिए मजबूर किया है।
- विशेषज्ञों का जोर है कि केवल प्रशासनिक कमियों को दूर करना पर्याप्त नहीं है; राज्यों को जनसांख्यिकी लाभांश का दोहन करने के लिए डिप्लोमा उत्पादकों से नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता के गतिशीलता वाले इंजन में बदलना होगा।

आवश्यक परिभाषाएं

- जनसांख्यिकी लाभांश:** आर्थिक विकास क्षमता की वह अवधि जो तब हो सकती है जब किसी देश की कार्य-आयु वाली आबादी बड़ी हो, बशर्ते शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में पर्याप्त निवेश किया गया हो।
- कौशल-आधारित शिक्षा:** रट्टा मार कर सीखने और सैद्धांतिक डिग्री प्राप्त करने के बजाय छात्रों को व्यावहारिक, उद्योग-प्रासंगिक दक्षताओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण से लैस करने पर केंद्रित एक शैक्षिक दृष्टिकोण।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- संविधान का अनुच्छेद 21ए:** छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
- सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024:** सार्वजनिक भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में संगठित धोखाधड़ी, पेपर लीक और कपटपूर्ण प्रथाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है।

निष्कर्ष उत्तरी राज्यों में शैक्षिक परिदृश्य भौतिक बुनियादी ढांचे के विस्तार और परीक्षा धोखाधड़ी तथा कौशल बेमेल के कारण योग्यता के लगातार क्षरण के बीच एक गहरे विरोधाभास को दर्शाता है। इन प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने के लिए मजबूत संस्थागत जवाबदेही, कदाचार विरोधी कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन और भारत की जनसांख्यिकी संपत्ति को उत्पादक आर्थिक चालकों में बदलने के लिए नवाचार-संचालित शिक्षा की ओर आक्रामक बदलाव की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II:** स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों जुटाने, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

6. कैबिनेट ने PM-KISAN योजना के लिए पांच साल के विस्तार को दी मंजूरी

मुख्य बातें और सारांश

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 तक के अगले पांच वर्षों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
- इस विस्तारित कार्यकाल के दौरान योजना के सफल कार्यान्वयन और निरंतरता के लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹3.15 लाख करोड़ के बड़े वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है।
- यह योजना पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को सीधे उनके बैंक खातों में तीन समान किस्तों में वितरित किए जाने वाले सालाना ₹6,000 की गारंटी देना जारी रखती है।
- फरवरी 2019 में मूल रूप से शुरू किया गया यह कार्यक्रम पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) के रूप में कार्य करता है ताकि वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- कार्यान्वयन में रिसाव को रोकने और पूर्ण पारदर्शित सुनिश्चित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण, भूमि रिकॉर्ड लिंकेज और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) तंत्र सहित उन्नत डिजिटल वास्तुकला का लाभ उठाया जाता है।

The Indian EXPRESS

Cabinet approves extension of PM-KISAN for 5 years



आवश्यक परिभाषाएं

- **आय सहायता योजना:** एक कल्याणकारी नीति उपकरण जो बाजार की कीमतों को विकृत किए बिना तत्काल तरलता की कमी को दूर करने के लिए लक्षित कमजोर जनसांख्यिकी को सीधे मौद्रिक हस्तांतरण प्रदान करता है।
- **केंद्रीय क्षेत्र की योजना:** विभिन्न रेखा मंत्रालयों (लाइन मिनिस्ट्रीज) के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित और सीधे प्रशासित एक विकासात्मक परियोजना या कल्याणकारी योजना।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 38:** सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से चित्रित एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का राज्य को आदेश देता है, जो आय-समर्थन हस्तक्षेपों के लिए foundational ethos (मौलिक लोकाचार) का गठन करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 43:** राज्य को सभी श्रमिकों को एक निर्वाह मजदूरी और जीवन स्तर सुरक्षित करने का निर्देश देता है, जो कृषि समता और ग्रामीण उत्थान की ओर निर्देशित सामाजिक-आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन करता है।

निष्कर्ष PM-KISAN के लिए पांच साल का विस्तार और पर्याप्त बजटीय आवंटन कृषि समुदाय के लिए संरचनात्मक आय सहायता को संस्थागत बनाने पर सरकार के अटूट फोकस को दर्शाता है। इनपुट लागत को कम करके और अनौपचारिक ग्रामीण ऋणदाताओं पर निर्भरता को रोककर, यह योजना दीर्घकालिक कृषि स्थिरता और ग्रामीण मांग के लिए एक महत्वपूर्ण लंगर के रूप में कार्य करती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, योजना, संसाधनों जुटाने, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; समावेशी विकास और उससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे; प्रमुख फसल पैटर्न और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी।

7. लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया

मुख्य बातें और सारांश

- लोकसभा ने छात्र प्रदर्शनों के संबंध में विपक्ष के विरोध के बीच बिना चर्चा के ध्वनि मत से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है।
- यह कानून लंबी देरी के बाद महत्वपूर्ण घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए पहले की एकल-स्तरीय व्यवस्था को बदलने के लिए एक दो-स्तरीय तंत्र पेश करता है।
- घटना के एक वर्ष से दो वर्ष के बीच रिपोर्ट किए गए जन्म और मृत्यु के लिए, जिला मजिस्ट्रेट, उप-डिविजनल मजिस्ट्रेट, या किसी अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट से प्राधिकरण अनिवार्य बना हुआ है।
- दो साल से अधिक की देरी से रिपोर्ट किए जाने वाले किसी भी जन्म या मृत्यु के लिए, पूरी तरह से सत्यापन के बाद अब प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्पष्ट आदेश की आवश्यकता होती है।
- इस संशोधन का उद्देश्य धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों को रोकना, फुलप्रूफ जनसांख्यिकीय डेटा अखंडता सुनिश्चित करना और सार्वजनिक कल्याण वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रों को सख्त करना है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **सिविल पंजीकरण प्रणाली (CRS):** किसी देश में जन्म और मृत्यु जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं की निरंतर, स्थायी और अनिवार्य रिकॉर्डिंग की एकीकृत वैधानिक प्रणाली।
- **कार्यकारी मजिस्ट्रेट बनाम न्यायिक मजिस्ट्रेट:** कार्यकारी मजिस्ट्रेट राज्य नियंत्रण का निष्पादन करने वाली प्रशासनिक कार्यकारी शाखा से संबंधित हैं, जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायिक जांच और मुकदमों को संभालने वाली न्यायपालिका से संबंधित स्वतंत्र न्यायिक अधिकारी हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **समवर्ती सूची की प्रविष्टि 30 (सातवीं अनुसूची):** संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़ों पर कानून बनाने का अधिकार देती है।

- **जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969:** भारत भर में महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय घटनाओं के समान पंजीकरण को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक मूल कानून, जिसे पहले 2023 में संशोधित किया गया था।

निष्कर्ष

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 का पारित होना बासी जनसांख्यिकीय फाइलिंग पर प्रशासनिक और न्यायिक निगरानी को कड़ा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम है। बहु-वर्षीय देरी से होने वाली प्रविष्टियों के लिए गेटकीपिंग की जिम्मेदारी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को स्थानांतरित करना राष्ट्रीय जनसंख्या डेटाबेस की प्रामाणिकता की रक्षा करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II:** कार्यकारी और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I:** जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, विकासात्मक और जनसांख्यिकीय योजना।

8. भोपाल गैस त्रासदी स्थल के पास गंभीर सीवेज संदूषण का पता चला

मुख्य बातें और सारांश

- भोपाल में कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि मृत पड़ी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्रों से एकत्र किए गए \$68\%\$ पीने के पानी के नमूने मल कोलीफॉर्म (faecal coliform) से गंभीर रूप से दूषित हैं।
- 2 जुलाई से 22 जुलाई के बीच 30 इलाकों से एकत्र किए गए 63 नल के पानी के नमूनों में से 43 नमूनों में सीवेज संदूषण पॉजिटिव पाया गया, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।
- कार्यकर्ताओं ने बताया कि सर्वेक्षण किए गए 30 समुदायों में से 19 को अपने नगरपालिका पानी के पाइपों में सक्रिय सीवेज संदूषण का सामना करना पड़ रहा है, जो इंदौर की भगिरथपुरा त्रासदी जैसे हालिया शहरी जल सुरक्षा संकटों की याद दिलाता है।
- तुलनात्मक परीक्षणों से पता चला कि भोपाल की ऊपरी झील से पानी के 90% नमूनों और कोलर बांध से 25% नमूनों में भी संदूषण के लक्षण दिखाई दिए, जबकि नर्मदा नदी के नमूनों का परीक्षण नेगेटिव आया।
- भोपाल नगर निगम (BMC) ने इन निष्कर्षों का कड़ा विरोध करते हुए दावा किया है कि जुलाई में आयोजित 61 नमूनों के उसके अपने आंतरिक पानी के परीक्षण से ऐसी कोई अशुद्धियां सामने नहीं आईं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **मल कोलीफॉर्म (Faecal Coliform):** गर्म खून वाले जानवरों की आंत से उत्पन्न होने वाले कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का एक उप-समूह, जिसकी पीने के पानी में उपस्थिति सीवेज या मल संदूषण और संबंधित बीमारी के जोखिमों को इंगित करती है।

- **जलजनित रोग:** दूषित पेयजल के माध्यम से फैलने वाले रोगजनक सूक्ष्मजीवों के कारण होने वाली बीमारियां, जिनमें हैजा, टाइफाइड और पेचिश शामिल हैं।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन के अधिकार के एक आंतरिक हिस्से के रूप में साफ पीने के पानी और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार को शामिल करता है।
- **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974:** जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्राथमिक नियामक ढांचा प्रदान करता है, जो जल गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अधिकार देता है।

निष्कर्ष

ऐतिहासिक आपदा क्षेत्रों के पास नगरपालिका जल नेटवर्क में सीवेज संदूषण का खतरनाक प्रसार शहरी बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी में लगातार अंतराल को रेखांकित करता है। सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए कमजोर शहरी समुदायों को जलजनित आपदाओं से बचाने के लिए सख्त नगरपालिका जवाबदेही, कठोर पाइप-नेटवर्क ऑडिटिंग और पारदर्शी सार्वजनिक रिपोर्टिंग की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II:** स्वास्थ्य, स्वच्छता से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।

9. भारत की प्रवेश संस्कृति और शिक्षा सुधार की नए सिरे से कल्पना

मुख्य बातें और सारांश

- भारत की उच्च शिक्षा प्रवेश संस्कृति एकल-शॉट प्रतियोगी परीक्षाओं पर अत्यधिक निर्भरता रखती है, जिससे छात्र तनाव और मानसिक स्वास्थ्य संकटों से जुड़ा एक उच्च-दबाव वाला वातावरण बनता है।
- एक निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली में संवर्धित स्कूली प्रदर्शन, अनुशासन-विशिष्ट योग्यता, विश्लेषणात्मक लेखन, साक्षात्कार और सत्यापित परियोजना पोर्टफोलियो को संयोजित करने वाले बहु-आयामी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) जैसी केंद्रीकृत परीक्षण मॉडल अक्सर क्षेत्रीय, भाषाई और सामाजिक विविधताओं को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं, जिससे एक विकेंद्रीकृत मूल्यांकन ढांचा अधिक न्यायसंगत बन जाता है।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों और विधायी निकायों की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे कोचिंग केंद्रों के शोषक व्यावसायीकरण को विनियमित करें और छात्र कल्याण की रक्षा करें।

- व्यापक सुधार के लिए केवल रैंक-आधारित छनन के बजाय क्षमता-निर्माण पर केंद्रित उद्योग के संपर्क, संरचित अभिभावकीय परामर्श और मानवीय शैक्षिक नीतियों के माध्यम से करियर के विकल्पों को व्यापक बनाने की आवश्यकता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- जनसांख्यिकी लाभांश:** जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप होने वाली आर्थिक विकास क्षमता, मुख्य रूप से जब कार्य-आयु वाली आबादी का हिस्सा गैर-कार्य-आयु वाले हिस्से से बड़ा होता है।
- क्षमता-आधारित मान्यता:** एक मूल्यांकन दृष्टिकोण जो अत्यधिक दबाव में परीक्षा लेने की गति के बजाय उम्मीदवार की समग्र योग्यता, प्रेरणा, नैतिक गंभीरता और विकास की क्षमता का आकलन करता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसकी व्याख्या न्यायपालिका द्वारा स्वस्थ, तनाव मुक्त पर्यावरण के अधिकार और गरिमापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को शामिल करने के लिए की जाती है।
- समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 (सातवीं अनुसूची):** संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार देती है।

निष्कर्ष

डर से प्रेरित प्रतिस्पर्धा से दूर समग्र मानव विकास की ओर बढ़ने के लिए भारत के शैक्षिक मूल्यांकन ढांचे का ओवरहॉल करना अनिवार्य है। विकेंद्रीकृत परीक्षण मॉडल को एकीकृत करके, संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करके और करियर के दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर, राष्ट्र अपने युवाओं को शैक्षणिक संकट से बचा सकता है और समावेशी विकास के सच्चे वादे को पूरा कर सकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II:** शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों जुटाने, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

10. विज्ञान और संवाद के साथ पश्चिमी घाट संरक्षण

मुख्य बातें और सारांश

- पश्चिमी घाट भारत के छह तटीय राज्यों में फैला हुआ है और इसमें अपनी अनूठी पारिस्थितिक समृद्धि के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त 39 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र शामिल हैं।
- गाडगिल समिति (WGEEP) ने पूरे पश्चिमी घाट को एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने की सिफारिश की थी, जिसे बाद में कस्तूरीरंगन समिति द्वारा क्षेत्र के 37% हिस्से को कवर करने के लिए संशोधित किया गया था।
- 2015 और 2026 के बीच, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा पांच मसौदा अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, हालांकि खनन, बुनियादी ढांचे और कृषि प्रतिबंधों पर हितधारक राज्यों के विरोध के कारण अंतिम आम सहमति अभी भी देरी से है।
- घाटों के भीतर 10 जिलों को समेटे हुए कर्नाटक ने स्थानीय आजीविका, बागान फसलों और आर्थिक विकास पर संभावित प्रभावों को लेकर लगातार ESA अधिसूचनाओं का विरोध किया है।
- दीर्घकालिक पारिस्थितिक गिरावट और जैव-सांस्कृतिक विविधता के नुकसान को रोकने के लिए वैज्ञानिक संरक्षण को स्थानीय हितधारक संवाद, स्वदेशी अधिकारों और आजीविका सुरक्षा के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA):** पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित एक क्षेत्र, जो संरक्षित वनों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास है जहाँ पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए विशिष्ट विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित किया जाता है।
- **जैव-सांस्कृतिक विविधता:** जैविक विविधता और सांस्कृतिक विविधता के बीच का संबंध, जो अपने प्राकृतिक आसपास के पारिस्थितिक तंत्र के साथ स्वदेशी समुदायों के परस्पर जुड़े हुए अनुकूलन का प्रतिनिधित्व करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 48ए:** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है।
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:** केंद्रीय सरकार को पर्यावरणीय अखंडता को संरक्षित करने के लिए पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में औद्योगिक, व्यावसायिक और विकासात्मक संचालन को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कठोर वैज्ञानिक पारिस्थितिक सुरक्षा और स्थानीय समुदायों की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं के बीच की खाई को पाटने की आवश्यकता है। समावेशी संवाद के माध्यम से अंतिम ESA अधिसूचनाओं की ओर आगे बढ़ना स्वदेशी आबादी को हाशिए पर धकेले बिना भारत की महत्वपूर्ण पारिस्थितिक रीढ़ का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करेगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I:** विश्व की भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं; भारत भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण।

11. कैबिनेट ने तैरते सौर संयंत्रों के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी

मुख्य बातें और सारांश

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जलाशयों और जल निकायों में तैरती सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचे में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन की गई ₹5,070 करोड़ की योजना, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है।
- यह कार्यक्रम प्रति मेगावाट ₹1 करोड़ तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता द्वारा समर्थित, वर्ष 2030-31 तक 5,000 मेगावाट (MW) की तैरती सौर उत्पादन क्षमता के निर्माण का लक्ष्य रखता है।
- 102 गीगावाट (GW) की अनुमानित राष्ट्रीय क्षमता के मुकाबले भारत के पास वर्तमान में लगभग 0.7 गीगावाट स्थापित तैरती सौर क्षमता है, जो भारी अप्रयुक्त विस्तार के रास्ते को इंगित करती है।
- इस योजना से लाभान्वित होने वाली परियोजनाओं को पीक पावर की मांग को संभालने के लिए कार्यक्रम में कुल 10,000 मेगावाट-घंटे (MWh) के साथ कम से कम दो घंटे के बराबर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) को एकीकृत करना होगा।
- जलाशय-आधारित स्थापनाएं पारंपरिक जमीन पर लगे सौर फार्मों से जुड़ी भूमि अधिग्रहण बाधाओं और पुनर्वास चुनौतियों को दूर करने में मदद करती हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (FPV):** जलाशयों, झीलें और बांधों जैसे पानी के निकायों पर तैरने वाले संरचित प्लेट्स या प्लेटफार्मों पर लगाए गए सौर ऊर्जा उत्पादन प्रतिष्ठान।
- **बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS):** उन्नत उपकरण जो सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा को संग्रहीत करने और फिर बिजली की सबसे अधिक आवश्यकता होने पर इसे छोड़ने में सक्षम बनाते हैं, जिससे ग्रिड की रुक-रुक कर होने वाली समस्या कम होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **विद्युत अधिनियम, 2003:** भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की पैठ को बढ़ावा देते हुए बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक विधायी ढांचे के रूप में कार्य करता है।
- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC):** राष्ट्रीय सौर मिशन सहित निम्न-कार्बन विकास, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा पदचिह्न का विस्तार करने के लिए भारत की व्यापक रणनीति को रेखांकित करती है।

निष्कर्ष प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की शुरुआत दुर्लभ भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए जल निकायों की ओर ध्यान केंद्रित करके भारत के नवीकरणीय ऊर्जा रोडमैप में एक रणनीतिक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है।

अनिवार्य बैटरी भंडारण को शामिल करना ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करता है, जो स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा को अनलॉक करते हुए भारत को उसके शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों के करीब लाता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III:** बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि; संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन।

12. सुप्रीम कोर्ट ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर नोटिस जारी किया

मुख्य बातें और सारांश

- सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के बीच बहुविवाह को असंवैधानिक घोषित करने और सभी नागरिकों के लिए इस प्रथा को समान रूप से समाप्त करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
- कार्यकर्ता जाकिया सोमन और अन्य द्वारा दायर याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत छूट के बिना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82 को समान रूप से लागू करने की मांग की गई है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बहुविवाह महिला अलगाव और लैंगिक असमानता के प्राथमिक चालक के रूप में कार्य करता है।
- यह कानूनी चुनौती भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) और लैंगिक-न्यायसंगत व्यक्तिगत कानूनों के कार्यान्वयन के आसपास के व्यापक राष्ट्रीय प्रवचन को पुनर्जीवित करती है।
- आलोचकों और याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पुरातन व्यक्तिगत कानून अपवाद संविधान के तहत गारंटीकृत समानता और गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **बहुविवाह (Polygamy):** एक ही समय में एक से अधिक पत्नी या पति रखने की प्रथा या रिवाज, विशेष रूप से कुछ व्यक्तिगत कानूनी ढांचों में बहुपत्नी प्रथा (पॉलिजिनी)।
- **पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानून):** विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के संबंध में किसी विशेष समूह के लोगों पर उनके धर्म, संस्कृति या समुदाय के आधार पर लागू होने वाले कानून।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 14:** भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

- **संविधान का अनुच्छेद 25:** सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 44:** राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करने के लिए राज्य को निर्देश देता है।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82:** द्विविवाह को आपराधिक बनाती है, जो पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान फिर से शादी करने वाले व्यक्तियों को दंडित करती है, जो ऐतिहासिक रूप से कुछ व्यक्तिगत कानूनों के तहत छूट के अधीन था।



निष्कर्ष बहुविवाह की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को लैंगिक समानता की संवैधानिक गारंटी के साथ सामंजस्य बिठाने की भारत की चल रही कानूनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने और एक समान, न्यायसंगत कानूनी ढांचे के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करना आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II:** भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी ढांचा; मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।

